

प्रेमक,

श्रीमान सुन्दर अग्निहोत्री,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शक्ति ।

मेला में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
मिना केम्प-2, नया दिल्ली,  
प्रांत बिहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 173 अनुभाग

तखतक: दिनांक: 27 मार्च, 2003

विषय:- उक्त शिक्षा विभाग को संदर्भित प्रमाण पत्र द्वारा नवीनीकरण की संवत्ता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिने जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विभाग पर मुझे यह कृपे का न्येत हुआ है कि  
उक्त संदर्भित विभाग को संवत्ता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिने जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित

संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिने जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

113 विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का सभ्य-सभ्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

123 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

133 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्रो.मात्र शिक्षा परिषद द्वारा संवत्ता विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

143 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौशल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट अक्रेडिटेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 30प्रो.माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

15। संस्था शैक्षिक एवं शिक्षण उत्तर कर्मचारियों को राजकीय संस्थान प्राप्त  
16। संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों  
से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।

17। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें संस्थान प्राप्त  
अकादमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य  
सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

18। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे  
संस्था उनका पालन करेगी।

19। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीक में रखा जायेगा।

2- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/  
संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि  
किसी समय यह पालन जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया  
जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या झिझक बरती जा रही  
है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनामित्त प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

। इयानि सुन्दर उन्मिषीनी ।  
सु सचिव ।

पू०सं०- 4396

111/15-7-तद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~लखनऊ~~।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~लखनऊ~~।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, ~~उ०~~ शिक्षा नियंत्रण सचिवालय लखनऊ की सूचनाई।
- 6- मंडल बुक।

अज्ञात से;

। इयानि सुन्दर उन्मिषीनी ।  
सु सचिव ।